न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 73/2019

1. करतार उर्फ किरतार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सन्तोष पुत्री स्व0 अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
2. ओमपति उर्फ ओमी पुत्री स्व0 अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
3. ममता उर्फ मोनिका पुत्री स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
4. जयप्रकाश पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
5. रेखा उर्फ धापी पुत्री स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक सूरतपुरा के खाता सं0 88/210 के मु0 न0 39 के किला न0 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 59 के किला न0 6, 7, 8, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 60 के किला न00 9, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 76 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 77 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 78 के किला 5, 6, 15 कुल 12.1440है0 बारानी खातेदारी में किरतार, मोनिका, जयप्रकाशं, धापी, संतोष, ओमपति के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, में से वादी व प्रतिवादी सं0 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व वादी का नाम किरतार वल्द भूपसिंह की जगह किरतार उर्फ करतार वल्द अमीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 3 व 5 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी किरतार उर्फ करतार व प्रतिवादी सं0 4 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच किरतार के नाम से विचाराधिन हो या किसी सरकारी संस्था में किरतार के नाम से [illegible] किरतार नाम ही प्रभावी माना जावेंगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई [illegible] या हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो [illegible] उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:38 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 73/2019

1. करतार उर्फ किरतार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सन्तोष पुत्री स्व0 अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
2. ओमपति उर्फ ओमी पुत्री स्व0 अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
3. ममता उर्फ मोनिका पुत्री स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
4. जयप्रकाश पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
5. रेखा उर्फ धापी पुत्री स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 136 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा **: वादी**
वकील श्री राममूर्ति ताखर **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 22-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही चक सूरतपुरा के खाता सं0 88/210 के मु0 न0 39 के किला न0 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 59 के किला न0 6, 7, 8, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 60 के किला न0 9, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 76 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 77 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 78 के किला 5, 6, 15 कुल 12.1440है0 बारानी खातेदारी में किरतार, मोनिका, जयप्रकाश, धापी, संतोष, ओमपति के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की [illegible] को समतल, [illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आ[illegible]कता [illegible]ी है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 की ओर से दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया। व प्रतिवादी सं 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु1 करतार उर्फ किरतार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा, पीडब्ल्यु 2 में नत्थूराम पुत्र केवलाराम व पीडब्ल्यु 3 में रणजीत पुत्र अमरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सूरतपुरा संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी सूरतपुरा संवत 2055 प्रदर्श 2, निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा निर्णय दिनांक 30.08.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 3, दावाअर्जी प्रदर्श 4, ईकबाल दावा प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र अमीलाल प्रदर्श 6, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 7, राशन कार्ड व चित्रप्रति प्रदर्श 8 व 8ए, आधार कार्ड व चित्रप्रति प्रदर्श 9 व 9ए, नामान्तरण रजिस्टर प्रदर्श 10, वोटर आईडी कार्ड व चित्रप्रति प्रदर्श 11 व 11ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। दर्ज वादभूमि हरफुल व अमीलाल की जरिये बैयनामा खरीद शुदा कृषि भूमि है जिसे हरफुल ने जरिये बैयनामा दावा हरफुल बनाम अमीलाल निर्णय दिनांक 30.08.2006 को राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैयनामा 2/3 हिस्सा हरफुल व 1/3 हिस्सा अमीलाल के वारिसान के नाम दर्ज हो गया। दावा चलने के बीच में अमीलाल की मृत्यू होने पर अमीलाल के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। व अमीलाल के एक पुत्र भूपसिंह की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान मोनिका उर्फ ममता, जयप्रकाश, धापी उर्फ रेखा को जरिये नाना पतराम पक्षकार बनाया गया। लेकिन दावा डिकी होने पर भूलवंश राजस्व रिकार्ड में किरतार उर्फ करतार पुत्र भूपसिंह दर्ज हो गया जबकि किरतार उर्फ करतार के पिता का नाम अमीलाल दर्ज होना था। चुंकि किरतार उर्फ किरतार व भूपसिंह दोनों भाई है लेकिन वादी किरतार उर्फ करतार का हिस्सा वादी के भाई के वारिसान के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, जिससे वादी के हिस्से अनुसार कृषि भूमि व वादी के पिता का सही नाम अमीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया। राजस्व रिकार्ड में किरतार उर्फ करतार वल्द अमीलाल का हिस्सा प्रभावित होता है। चुंकि किरतार उर्फ करतार व भूपसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी को अपना हिस्सा व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकार है इस प्रकार मुताविक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने सूरतपुरा0 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में अमीलाल के दो पुत्र किरतार व भूपसिंह व दो ओमपति व संतोष, **(भुपसिंह की मृत्यु होने के कारण भूपसिंह के जायज वारिसान में गिरदावरी पत्नी भूपसिंह (जिन्होने अन्यत्र शादी कर ली) ममता, रेखा व जयप्रकाश पुत्र भूपसिंह)** के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही चक सूरतपुरा के खाता सं0 88/210 के मु0 न0 39 के किला न0 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 59 के किला न0 6, 7, 8, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 60 के किला न0 9, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 76 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 77 के किला न0 1 ता 15, [illegible] के किला 5, 6, 15 कुल 12 1440है0 बारानी खातेदारी में किरतार, मोनिका, [illegible] धापी, संतोष, ओमपति के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी [illegible] करतार का हिस्सा वादी के भाई के वारिसान के [illegible] दर्ज हो गया, जिससे वादी के हिस्से अनुसार कृषि भूमि व वादी के पिता का सही [illegible] अमीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया जिससे वादी के हक हिस्से पर विपरित असर पड़ रहा है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (फास्ट ट्रेक) आवश्यक

Scanned with CamScanner

सं0 3 व 5 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में किरतार वल्द भूपसिंह के स्थान पर किरतार उर्फ करतार वल्द अमीलाल किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक सूरतपुरा के खाता सं0 88/210 के मु0 न0 39 के किला न0 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 59 के किला न0 6, 7, 8, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 60 के किला न00 9, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 76 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 77 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 78 के किला 5, 6, 15 कुल 12. 1440है0 बारानी खातेदारी में किरतार, मोनिका, जयप्रकाश, धापी, संतोष, ओमपति के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, में से वादी व प्रतिवादी सं0 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व वादी का नाम किरतार वल्द भूपसिंह की जगह किरतार उर्फ करतार वल्द अमीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 3 व 5 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी किरतार उर्फ करतार व प्रतिवादी सं0 4 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच किरतार के नाम से विचाराधिन हो या किसी सरकारी संस्था में किरतार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए किरतार नाम ही प्रभावी माना जावेंगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो उसके लिए वादी स्वंय जिम्मेदार होगा। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.3.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) R.A.S.
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner